रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252795
CG-DL-E-09032024-252795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1126] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
No. 1126] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

का.आ. 1188(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में कर्नाटक राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) श्री बी. गुरुप्रसाद — अध्यक्ष ;
इंजीनियर इन चीफ (सेवानिवृत्त) और पूर्व सचिव सरकारी लोक निर्माण विभाग जीओके
सुपुत्र, बी.के. बासप्पा, नंबर 213, 'जी' ब्लॉक, 10 वीं क्रॉस, सहकार नगर, बेंगलुरु -560092

(ii) श्री लक्ष्मीकांत एच. एम. — सदस्य ;
सृष्टि इंटरनेशनल (एप्लाइड रिसर्च एंड एनवायरनमेंट)

1294, विजराकाया, 5वां ब्लॉक, सर एम विश्वेश्वरैया लेआउट, उल्लालू, बैंगलोर- 560056

(iii) सरकार के प्रधान सचिव, (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एमएस बिल्डिंग, बैंगलोर- 560001 सदस्य-सचिव ।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय लेने में सहमत होने का प्रयास करेगा और यदि वह सहमत होने में असफल होता है तो बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा और निर्णय के पक्ष में और उसके विरुद्ध विचारों को कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

5. प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसका कर्नाटक राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठन किया गया है, की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय करेगा ।

6. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए कर्नाटक सरकार के परामर्श से विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

(i) श्री महेश ए. एन. अध्यक्ष ;
सुपुत्र निंगे गौड़ा, अरुणोदय निलया, नेत्रावती स्ट्रीट, रामेश्वरनगर, चिक्कमगलूर- 577101

(ii) श्री रवि कुमार यादव बी.वी सदस्य ;
नंबर 1326, पहला क्रॉस, महालक्ष्मी मंदिर के पीछे, केएसआरटीसी कॉलोनी, एमपी प्रकाश नगर, होसपेटे - 583201, विजयनगर, जिला, कर्नाटक ।

(iii) डॉ. बालकृष्ण एस मडोडी सदस्य ;
नंबर 109, अनंतनगर, मणिपाल, उडुपी जिला, कर्नाटक

(iv) श्री ध्रुव कुमारा बीवाई सदस्य ;
329, बेट्टादहल्ली (पोस्ट), तारिकेरे तालुक, चिकमंगलोर जिला, कर्नाटक

(v) श्री शिवप्पा नाइक एस सदस्य ;
नंबर डी 301, निर्माण एन्क्लेव, तीसरी मंजिल, देवेगौड़ा रोड, दीन्नूर मेन रोड के पास, आरटी नगर, बैंगलोर- 560032, कर्नाटक

(vi) श्री केएच नागराज सदस्य ;
नंबर 22, 11वां 'ए' मेन, सीएचबीसीएस लेआउट, दूसरा चरण, विजयनगर, बेंगलुरु -560040

(vii) श्री सादिक अहमद सदस्य ;
ईटीए स्टार गार्डन अपार्टमेंट, टॉवर बी', फ्लैट 1705,
बिन्नी मिल सर्कल, अंगला परमेश्वर मंदिर के सामने, बैंगलोर -560023

IndiaCode

(viii) डॉ. संघेश कोलियावर, एमबीबीएस, एमएस सदस्य ;

मेडिकल डायरेक्टर, आश्रय अस्पताल, सनकडकट्टे, मगदी रोड, बेंगलुरु - 560091

(ix) आयुक्त, (तकनीकी प्रकोष्ठ) वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एमएस बिल्डिंग, बामग्लोर-560001 सदस्य- सचिव

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. हितों के किसी टकराव से बचने के लिए-

(i) समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्राधिकरण -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; और

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठक बचाव करेंगे ।

9. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

10. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

11. (i) कर्नाटक सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी ।

(ii) सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. आईए3-13/8/2023-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

S.O. 1188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment

Authority for the State of Karnataka (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i)	Shri. B. Guruprasad Engineer in Chief (Retd) & Former Secretary to Govern ment Public Works Department GoK S/o B.K Basappa, No.213, 'G' Block, 10th Cross, Sahaka rnagar, Bengaluru-560092	Chairman;
(ii)	Shri. Lakshmikanth. H. M. Srishti International (Applied Research & Environment) 1294, Vijrakaya, 5th Block, Sir M Vishweswaraiah Layout, Ullalu, Bangalore-560056.	Member;
(iii)	Principal Secretary to Government, (Ecology & Environment), Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, M.S Building, Bangalore- 560001	Member - Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall endeavour to reach consensus to take decision and if they fail to reach consensus, the views of the majority shall prevail and the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

5. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Karnataka.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Karnataka, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

(i)	Sri. Mahesh A. N S/o Ninge Gowda, Arunodhaya Nilaya, Nethravathi Street, Rameshwaranagar, Chikkamagalur- 577101.	Chairperson;
(ii)	Shri. Ravi Kumar Yadav B. V No.1326,1st Cross, Behind Mahalaxmi Temple, KSRTC Colony, MP Prakash Nagar,Hospete-583201, Vijayanagara, Dist. Karnataka.	Member;
(iii)	Dr. Balakrishna S Maddodi No.109, Ananthnagar, Manipal, Udupi District Karnataka.	Member;
(iv)	Shri. Dhruva Kumara B.Y 329, Bettadahalli (Post), Tarikere Taluk, Chickmangalore District, Karnataka	Member;
(v)	Shri.Shivappa Naik. S No. D301, Nirman Enclave , 3rd Floor, Devegowda Road,Near Dinnur Main Road , RT Nagar, Bangalore- 560032. Karnataka	Member;
(vi)	Shri. K.H Nagaraj No.22,ll th 'A' Main, CHBCS Layout, 2nd Stage, Vijayanagar, Bengaluru-560040	Member;
(vii)	Shri. Sadiq Ahmed ETA Star Garden Apartments, Tower B', Flat 1705, Binny Mill Circle, Opp Angala Parameswara Temple, Bangalore-560023	Member;
(viii)	Dr. Sangamesh Kolliyavar, MBBS, MS Medical Director, Ashraya Hospital, Sunkadakatte,	Member;

IndiaCode

Magadi Road, Bangaluru - 560091.

The Commissioner, (Technical Cell) Member- Secretary.

(ix) Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, M.S Building , Bamglore-560001

7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall, -

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) In the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

10. The Committee shall function on the principles of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the views of the majority shall prevail.

11. (i) The State Government of Karnataka shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee.

(ii) The secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules, of the State Government of Karnataka.

[F. No. IA3-13/8/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.